न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—227 / 2018 / 225 (2018 / 00227)

1. शक्तिसिंह पुत्र स्व0 चन्द्रकिशोर, जाति रावत, नाबालिग जरिये माता श्रीमती विमला देवी पत्नि स्व0 चन्दकिशोर, जाति रावत, नि0 आम वाला कुंआ, माखुपुरा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र स्व0 पीरू,
2. हालू पुत्र स्व0 पीरू,
3. भैरू पुत्र स्व0 पीरू,
4. हेमा पुत्र स्व0 पीरू,
5. सोहनी देवी पत्नि छोटू,
6. माया पुत्री छोटू,
7. कान्ता पुत्री छोटू,
8. ममता पुत्री छोटू,
9. मोहित पुत्र छोटू,
10. यशपाल पुत्र छोटू,
    समस्त जाति रावत, निवासी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाजपुरा, के पास पोस्ट पालरा, जिला अजमेर ।
11. अजीतसिंह यादव पुत्र मायाराम यादव, जाति यादव, निवासी तीसरी गली, बिहारीगंज, अजमेर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 19.7.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 82 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री रामसुख चौधरी एवं श्री प्रदीप यादव, वकील रेस्पो0 संख्या 11.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 10 अनपुस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12.

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 19.7.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम खाजपुरा, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके आराजी खसरा नंबर 440, 441, 446, 448, 450, 647, 649, 659, 667, 671, 675, 677, 678, 439, 605 है । उपरोक्त आराजियात अपीलांट के अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 को विरासत में प्राप्त हुई है तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 कृषि भूमि के सहखातेदार है । जमाबंदी संवत् 2041 में उपरोक्त आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के स्व0 पिता एवं वादी परदादा के नाम बतौर काश्तकार दर्ज है । नामांतकरण संख्या 17 दिनांक 31.12.1985 के अनुसार मृतक पीरू के बजाय उपरोक्त आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज की गबई जिसके अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का उपरोक्त आराजियात में 1/5 हिस्सा दर्ज होता है । अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 का पोता है जिसका कि उपरोक्त आराजियात में अपने पिता स्व0 चन्द्रकिशोर की विरासत के अनुसार 1/10 हिस्सा बनता है जिसमें से उपरोक्त हिस्से बाबत् उद्घोषणा खातेदारी के लिये वाद प्रस्तुत किया गया । उक्त वाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का बेचान रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा किया जा रहा है जिसे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । जिस बाबत् दिनांक 19.7.2018 को अपीलांट ने पारित किये जाने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा बहस की परन्तु अधी0न्याया0 के द्वज्ञरा अंतिम रूप से ही प्रकरण का निस्तारण करते हुए सरसरी तौर पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अध्णि0 को अपने आदेश दिनांक 19.7.2018 से निरस्त कर दिया गया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 11 उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 अनुपस्थित। अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि अपीलांट के परदादा स्व0 पीरू की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त आराजियात जरिये विरासत अपीलांट के दादा गंगाराम को प्राप्त हुई जिनका कि अपीलाधीन आराजियात में वरिासत के अनुसार 1/5 हिस्सा बनता है । अपीलांट के पिता स्व0 चन्द्रकिशोर की मृत्यु हो चुकी है जिसका लाभ उठाकर गंगाराम के द्वारा उपरोक्त संपूर्ण हिस्से की आराजियात को बेचान करने का प्रयास किये जाने पर अपीलांट ने वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसकी दादारसी में यह अंकित किया कि '' यह कि प्रतिवादी संख्या 6 को यह आदेश दिया जावे कि वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य भूमि का नाप सीमांकन, लगान व किस्म के आधार पर 1/5, 1/5 अंश व हिस्से का बटवारा कर प्रवितादी संख्या 1 के अंश व हिस्से की 1/5 कृषि भूमि मे ंसे वादी को उसका अंश दिलाते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ।'' उक्त अनुतोष से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद वास्ते घोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया था परन्तु अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी उद्घोषणा का वाद ही प्रस्तुत नहीं किया है

जिससे वादी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से खाजिर करते हुए आदेश दिनांक 19.7.2018 पारित किया जो काबिल निरस्तनीय है । मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी प्रकरण में धारा का अंकन गलत हो गया है तो भी उस प्रकरण की वस्तुस्थिति को एवं दादरसी को देखते हुए उसका निर्णय किया जायेगा और वह दादरसी किसी धारा के तहत उसका निर्णय किया जावेगा और वह दादरसी किस धारा के तहत प्रदान की जा सकता है यह न्यायालय तय करेगा । वर्तमान वादपत्र में वादी द्वार सहवन से धारा 53 के तहत 88 का अंकन करने से रह गया है परन्तु दादरसी के कॉलम में स्पष्ट रूप से उद्घोषणा खातेदारी की मांग की गई है । इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत विस्तृत रूप से प्रावधान दिया गया है कि दादा के जीवनकाल में पोता अपने हक व हिस्से की मांग कर सकता है । वर्तमान प्रकरण में अपीलांट के द्वारा अपने दादा गंगाराम के हिस्से की भूमि में से अपने हिस्से की मांग किए जाने बाबत् ही वाद प्रस्तुत किया था परन्तु अधी0न्याया0 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह कथन अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा अजीतसिंह यादव के पंजीबद्ध विक्रय पत्र को चुनौती नहीं दी है जबकि स्वंय अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 28.11.2017 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार करते हुए अजीसिंह यादव को वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 7 बनाया था । उक्त प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकन किया था कि अजीतसिंह यादव के द्वारा भूमि क्रय की गई है जिससे यह आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकारा बनाया गया है । जब यह तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष स्पष्ट रूप से आ गया था कि यदि अब भूमि के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होता है तो इस तथ्य में कतई दो राय नहीं है कि वाद बाहुल्यता बढ़ेगी जिससे अधी0न्याया0 को वादग्रस्त आराजियात पर स्थगन आदेश जारी करने बाबत् अंतरिम रूप से निवेदन किया था परन्तु अधी0न्याया0 ने संपूर्ण पक्षकारों का जवाब आये दिनांक एवं धारा 212 राज0काश्त0अधि0 मे वर्णित प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, तथा अपूर्णीय क्षति के सिद्धांतों को नजरअदांज कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वाद के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 को वादग्रस्त आराजियात एवं पक्षकारो के हितों की सुरक्षा हेतु वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिये थी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 965, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 819, आर0बी0जे0 2011 (18) पेज 225, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 474, आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 154 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 11 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 11 ने विवादित आराजियात खसरा नंबर 440, 441, 446 कुल रकबा 6 बीघा को रेस्पो0 संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है जिसे उसकी क्रयशुदा आराजी बाबत् किसी भी निषेधाज्ञा से

पाबंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है । वर्तमान अभिलेख में दर्ज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के तहत जारी नहीं की जा सकती है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष केवल मात्र धारा 53, 188 व 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वाद पेश किया है जबकि अपीलांट खातेदार काश्तकार नहीं है । यह भी कथन किया कि अपीलांट ने वाद एवं प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बीरम पुत्र मांगू को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया है जिससे भी प्रार्थना पत्र एवं वाद संधारण योग्य नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी/अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार पीरू थे जिनके पांच पुत्र क्रमशः गंगाराम, हालू, भैरू, हेमा व छोटू पुत्रगण पीरू है । मूल खातेदार की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 17 दिनांक 31.12. 1985 को पांचों पुत्रों के नाम तस्दीक किया गया है जिसके अनुसार गंगाराम का विवादित आराजियात में 1/5 हिस्सा निहित है। विवाद गंगाराम की आराजी को लेकर है । गंगाराम के एक पुत्र चन्द्रकिशोर हुआ था जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलांट मृतक चन्द्रकिशोर का पुत्र होकर गंगाराम/रेस्पो0 संख्या 1 का पोत्र है । अपीलांट ने अपने वाद एवं प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि दादा के जीवनकाल में पोत्र अपने हक व हिस्से की मांग कर सकता है। इस संदर्भ में 2088 (1) आर0आर0टी0 पेज 154 हाई कोर्ट, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 474, राज0काश्त0अधि0 के तहत हक त्याग यानि रिलीजडीड स्वीकार्य नहीं है के संबंध में 2011 आर0बी0जे0 पेज 225 प्रस्तुत किये गये । हस्तगत प्रकरण में वादी/अपीलांट शक्तिसिंह का यह कथन है कि विवादित आराजियात परदादा स्व0 श्री पीरू की मृत्यु उपरांत अपीलांट के दादा गंगाराम को प्राप्त हुई एवं अपीलांट का अपीलाधीन भूमि में 1/5 हिस्सा है, के संबंध में उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरांत ही यह तय किया जा सकता है कि अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का 1/5 हिस्सा है अथवा नहीं ? वर्तमान प्रकरण राज0काश्त0अधि0 की धारा 212 से संबंधित है जिसमें किसी भी व्यक्ति के हक अधिकार तय नहीं हो सकते है । हक व अधिकार मूल वाद में बाद साक्ष्य ही तय किये जा सकते है । विरासत के संबंध में विधि स्पष्ट है कि पुश्तैनी भूमि में सभी को–पार्सनर का जन्म से अधिकार होता है एवं विधि में भी स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति के निहित हक व हिस्से को हस्तातंरण करना उसके हिस्से तक शून्य है । यदि दौराने विचाराधीन वाद अपीलाधीन भूमि का ओर आगे हस्तातंरण किया जाता है तो वाद बाहुल्यता बढ़कर जटिलताएं बढ़ने की पूर्ण संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 को अपीलाधीन के बेचान/हस्तातंरण की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेंटस को पाबंद करना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी का संपूर्ण प्रार्थना पत्र ही निरस्त कर दिया गया जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इस विधिक त्रुटि के कारण अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् नहीं रखा जा सकता है तथा इस कारण से निरस्तनीय है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.7.2018 को निरस्त किया जाता है एवं रेस्पोडेंटस को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि को अन्यत्र किसी भी तरह से बैचान/हस्तातंरण नहीं करे एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर